भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 342

उत्तर देने की तारीख: 28.03.2022

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

***342. श्री आर. के. सिंह पटेल:**

श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों के लाभार्थ सिविल सेक्टर सहित राज्य भर में नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने हेतु मंत्रालय से कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) बांदा, चित्रकूट तथा बुंदेलखंड जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति सहित उत्तर प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) की स्थापना की जिला-वार स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए अब तक किए गए कार्य तथा इसमें लगने वाले समय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री आर. के. सिंह पटेल एवं श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा दिनांक 28.03.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 342 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और एक नया केवि स्थापित करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता की जाती है। नए केवि खोलने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती पद्धति" के तहत ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में 122 केवि कार्यात्मक हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से नए केवि की स्थापना के लिए 06 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पयागपुर (जौनपुर) और महाराजगंज (महाराजगंज) में नए केवि की स्थापना के 02 प्रस्तावों को केविसं के मानदंडों के अनुसार अनिवार्य पूर्वापेक्षाएँ पूरी करते हुए पाया गया है। इन प्रस्तावों पर "चुनौती पद्धति" समिति ने विचार किया है। शेष 04 प्रस्तावों नामतः चांदपुर (अयोध्या), अछुनेरा देहात (आगरा), बिजनौर (बिजनौर) और मौरानीपुर (झांसी) में कुछ विसंगतियां/ कमियां हैं, जिन्हें आवश्यक सुधार के लिए केविसं द्वारा संबंधित जिला प्रशासन के नोटिस में लाया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र (चित्रकूट जिले सहित) के जिलों में 09 केवि कार्यात्मक हैं। जालौन जिले में कोई केवि नहीं है। केविसं ने यह भी सूचित किया है कि केवि बांदा कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका क्योंकि प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केविसं के मानदंडों के अनुसार, केविसं के पक्ष में अपेक्षित भूमि और अस्थायी आवास अंतरित नहीं किया है।

(ग) केवि के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक अधिकारियों द्वारा केविसं के पक्ष में लीज औपचारिकताओं को पूरा किए जाने, निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राइंग/अनुमान प्रस्तुत करने, धन की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करता है। अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

******